सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

अ. भामाशाह नामांकन शिविरों में बैंक खाता खुलवाने सम्बन्धी प्रश्न

1. बैंक खाता खुलवाना क्यों आवश्यक है ?

उ. चूंकि भामाशाह योजना लाभार्थियों के समस्त नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराने की योजना है, साथ ही परिवार की मुखिया महिला को घोषित किया जाना है एवं महिला मुखिया के बैंक खाते में ही समस्त पारिवारिक नकद लाभ सीधे ही हस्तांतरित किये जाने हैं, अतः समस्त लाभार्थियों विशेषकर महिला मुखिया का किसी भी कोर बैंकिंग समर्थ बैंक शाखा में खाता होना आवश्यक है।

2. क्या बिना बैंक खाता खोले भी निवासी का भामाशाह नामांकन सम्भव है ?

उ. यदि परिवार की महिला मुखिया का खाता पहले से किसी कोर बैंकिंग समर्थ बैंक की शाखा में नहीं है तो उसका खाता शिविर में खुलवाना आवश्यक है ताकि उसे आधार व भामाशाह के साथ जोड़ जा सके। चूंकि भामाशाह योजना लाभार्थियों के समस्त नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराने की योजना है, अतः बिना बैंक खाते के महिला मुखिया का भामाशाह नामांकन किया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी शिविर में खाता खुलवाना है तो वह चाहे तो खुलवा सकता है अन्यथा आवश्यक नहीं है।

3. बैंक खाता किन निवासियों को खोलना आवश्यक है ?

उ. ऐसा कोई भी निवासी जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं में नकद व गैर–नकद लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी है उसे भामाशाह नामांकन कराना आवश्यक है तथा भामाशाह नामांकन हेतु बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है।

4. क्या अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम) के निवासियों को बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है ?

उ. हां। यदि अवयस्क निवासी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं में नकद व गैर–नकद लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी है तथा भामाशाह योजना के अन्तर्गत अपना नामांकन कराना चाहता है, उसे बैंक खाता खुलवाना

आवश्यक है। अवयस्क का बैंक खाता बैंक के नियमानुसार किसी भी वयस्क के साथ खोला जा सकता है।

5. यदि किसी के पास बैंक खाता पहले से है तो क्या एक और बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है ?

उ. यदि निवासी का वर्तमान बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ शाखा में है तो नया बैंक खाता खुलवाना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वर्तमान बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ शाखा में नहीं है तो नया बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है।

6. क्या निवासी अपने वर्तमान डाक खाने या सहकारी बैंक के खाते को भामाशाह योजना के तहत काम में ले सकता है ?

उ. हां। यदि निवासी का वर्तमान बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ शाखा में है तो नया बैंक खाता खुलवाना की आवश्यकता नहीं है।

7. क्या परिवार की महिला मुखिया के लिए पृथक से खाता होना आवश्यक है ?

उ. महिला मुखिया के बैंक खाते में ही समस्त पारिवारिक नकद लाभ सीधे ही हस्तांतरित किये जाने हैं, अतः महिला मुखिया का किसी भी कोर बैंकिंग समर्थ बैंक शाखा में खाता होना आवश्यक है। यह बैंक खाता महिला मुखिया का एकल बैंक खाता भी हो सकता है अथवा उसके पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता भी हो सकता है।

8. नया बैंक खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

उ. भामाशाह शिविर में नया बैंक खाता बैंक के प्रतिनिधि द्वारा या बैंकिंग संवादकर्ता (BC) द्वारा खोला जायेगा। या तो खाता आधार की ई.के.वाई.सी प्रक्रिया द्वारा खोला जायेगा अथवा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर खोला जायेगा :–

1. आवेदन प्रपत्र (जो कि भामाशाह नामांकन प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगा)
2. निवासी के 2 फोटो
3. आधार की प्रति या
4. राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की प्रति या
5. बी.पी.एल कार्ड/नरेगा कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट

9. भामाशाह नामांकन शिविर में खोले जाने वाले बैंक खाते के बारे में विस्तार से बतायें।

उ. भामाशाह नामांकन शिविरों में सामान्य बचत खाता खोला जायेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार ''शून्य शेष (Zero Balance)'' पर खोला जायेगा। निवासी को 7 दिन के अंदर बैंक को बैंक खाता संख्या, पासबुक तथा एटीएम कार्ड देने होंगे।

10. क्या शिविर में खोला गया यह खाता निवासी द्वारा अपनी सामान्य बचत के लिए भी काम में लिया जा सकता है ?

उ. हां। शिविर में खोला गया यह खाता निवासी द्वारा अपनी सामान्य बचत के लिए भी काम में लिया जा सकता है।

11. निवासी इस प्रकार खोले गए खाते से धन निकासी कैसे करेगा ?

उ. धन की बैंक जाकर या एटीएम से सामान्य निकासी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित राजस्थान संपर्क आई.टी. केन्द्र पर मौजूद आधार समर्थ भुगतान प्रणाली के द्वारा भी धन की निकासी की जा सकती है। इन केन्द्रों पर अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की जायेंगी।

12. भामाशाह शिविर में बैंक खाता खोलने की क्या प्रक्रिया है ?

उ. 1. **इंटरनेट की उपलब्धता :–** निवासी अपने आधार नम्बर के जरिये ई.के.वाई.सी. तकनीक से सत्यापित होकर तथा भामाशाह नामांकन में खिचवाये गए फोटो की मदद से बिना किसी दस्तावेज के बैंक खाता खुलवा सकता है।

2. **इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होने पर :–** भामाशाह नामांकन का पूर्व में ही आंशिक रूप से भरा हुआ प्रपत्र बैंक खाता खोलने के लिए निवासी को उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर हस्ताक्षर इत्यादि कर निवासी बैंकिंग संवादकर्ता को देगा। बैंकिंग संवादकर्ता आवश्यक दस्तावेज लेकर निवासी का खाता खोलेगा तथा आधार नम्बर या ई.आई.डी (आधार रसीद) को इस खाते के साथ 'सीड' करेगा।

आधार के साथ बैंक खाते सीड करने वाली सूची को बैंक राज्य सरकार के साथ साझा करेगा।

13. बैंक सम्पर्क केन्द्रों पर क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवायेगा ?

उ. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक अपने ग्राहकों को निम्न सेवाएं निशुल्क उपलब्ध करवायेगा :–

1. खाता खोलना

2. नकद जमा

3. नकद निकासी

4. नकद हस्तांतरण/कटौतियां

14. क्या निवासी का खाता शिविर में भाग लेने वाले बैंकों में ही होना आवश्यक है ?

उ. नहीं। यदि निवासी विशेषकर महिला मुखिया के पास पहले से किसी भी बैंक की कोर बैंकिंग समर्थ ब्रांच में खाता है तो वह उसी खाते को भामाशाह पहचान संख्या के साथ जुड़वा सकता है।

15. क्या नया बैंक खाता खुलवाने के लिए निवासी को परिचयकर्ता की आवश्यकता है ?

उ. नहीं। यदि आवश्यकता होती है तो जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी इस सम्बन्ध में बैंकिंग प्रतिनिधि से सम्पर्क कर खाता खुलवाने में सहायता करेंगे।

ब. <u>भामाशाह नामांकन सम्बन्धी प्रश्न–</u>

1. भामाशाह नामांकन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

उ. भामाशाह नामांकन के समय कम से कम निम्नलिखित में से दो दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उक्त दो दस्तावेजों में एक पहचान सिद्ध करता हो तथा एक पते की जानकारी देता हो। ये दस्तावेज हैं–

आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, निवासी की फोटो एवं बैंक खाता संख्या (बैंक की पासबुक)।

भामाशाह नामांकन में भी आधार नामांकन के समस्त दस्तावेज मान्य होंगे।

2. भामाशाह नामांकन के समय किन लोगों की उपस्थिति आवश्यक है ?

उ. भामाशाह योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य नामांकन किया जाना आवश्यक है। भामाशाह योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक भामाशाह कार्ड जारी करना भी है अतः परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

3. क्या भामाशाह नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है ?

उ. हाँ। चूँकि भामाशाह का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान भी है जिसके लिए निवासी की उँगलियों के निशान तथा आँखों की पुतलियों की फोटो होना आवश्यक है अतः भामाशाह नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है। बिना आधार नामांकन के किसी भी निवासी का भामाशाह योजना के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया जायेगा।

4. भामाशाह नामांकन के अभियान की रूपरेखा :–

उ. निवासियों का नामांकन भामाशाह योजना के अन्तर्गत एक अभियान के तहत 'स्वीप मोड' में किया जायेगा। अभियान 16 अगस्त, 2014 से आरम्भ होकर 15 दिसम्बर 2014 तक चलेगा। भामाशाह नामांकन के लिए सभी ग्राम पंचायतों पर दो–तीन दिवसीय शिविर लगाए जाएंगें, साथ ही राज सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों (भारत निर्माण सेवा केन्द्र), पंचायत समितियों पर भी स्थायी नामांकन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जो निवासी ग्राम पंचायतों पर आयोजित शिविरों पर नामांकन नहीं करवा पाएंगें वे पंचायत समिति स्तरीय स्थायी नामांकन केन्द्रों पर जाकर अपना भामाशाह नामांकन करवा सकते हैं।

5. क्या आधार नामांकन की सुविधा भी इन शिविरों पर उपलब्ध होगी ?

उ. हाँ। जिन निवासियों का आधार नामांकन नहीं हुआ है उनके लिए आधार नामांकन की सुविधा भी इन शिविरों पर उपलब्ध होगी।

6. नामांकन केन्द्रों पर कौन सी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी?

उ. ई–के.वाई.सी., ई–आधार, बैंक खाता खुलवाना, आधार नामांकन एवं भामाशाह नामांकन की सुविधाएं इन शिविरों पर उपलब्ध होंगी। इन शिविरों में राशन कार्ड में त्रुटि सुधार हेतु भी सम्पर्क किया जा सकता है तथा शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लाभार्थियों का भी बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

7. नामांकन के पश्चात निवासी को शिविर से प्रस्थान के समय कौनसे दस्तावेज मिलेंगे ?

उ. यदि निवासी केवल भामाशाह योजना में नामांकन करवाएगा तो उसे भामाशाह नामांकन पावती संख्या दी जायेगी। लेकिन यदि निवासी आधार तथा भामाशाह दोनों नामांकन करवाते हैं तो ऐसे निवासी शिविर से भामाशाह व आधार दोनों नामांकन पावती लेकर प्रस्थान करेंगें। साथ ही यदि निवासी बैंक अकाउंट भी इसी शिविर में खुलवाता है तो उसे बैंक अकाउंट की पावती भी दी जाएगी।

8. भामाशाह नामांकन के क्या लाभ हैं?

- आधार नामांकन होगा जिसका भविष्य में सरकारी लाभों के प्राप्त करने में सत्यापन में प्रयोग होगा।
- भामाशाह नामांकन होगा जिसके द्वारा निवासी व उसका समस्त परिवार प्रदेश की सभी जन कल्याण की योजनाओं से स्वतः ही जुड़ जाएगा।
- प्रत्येक निवासी का बैंक खाता खोला जाएगा।
- सरकार द्वारा निवासी के बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण के लिए नामांकित कर लिया जाएगा।
- निवासियों को नकद जमा एवं निकासी की सुविधा।

9. परिवार का मुखिया किसे घोषित किया जा सकता है?

उ. पारिवारिक सहमति से 21 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की किसी भी महिला को परिवार का मुखिया घोषित किया जा सकता है। सरकार द्वारा समस्त पारिवारिक लाभ परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित किए जाएंगें।

10. क्या भामाशाह शिविर राज सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों (भारत निर्माण सेवा केन्द्र) के अन्यत्र भी आयोजित करवाया जा सकता है?

उ. हाँ। यदि उसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पर्याप्त स्थान, छाया, बिजली, पानी व कनैक्टिविटी की राज सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों (भारत निर्माण सेवा केन्द्र) से उत्तम व्यवस्था है तो भामाशाह शिविर राज सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों (भारत निर्माण सेवा केन्द्र) के अन्यत्र भी आयोजित करवाया जा सकता है। लेकिन इस हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार करना आवश्यक होगा।

11. क्या भामाशाह नामांकन/ भामाशाह नामांकन प्रपत्र का कोई शुल्क देय होगा?

उ. नहीं। भामाशाह नामांकन निःशुल्क है तथा भामाशाह नामांकन प्रपत्र का भी कोई शुल्क देय नहीं है।

12. क्या शिविर में मूल दस्तावेज लाना आवश्यक है?

उ. हाँ। शिविर में मूल दस्तावेज जाँच हेतु लाना आवश्यक है लेकिन उनकी फोटो प्रतियाँ ही सत्यापक द्वारा जमा की जाएँगी। केवल सत्यापित प्रतिलिपियाँ दिखाना स्वीकार्य नहीं होगा।

13. क्या परिवार के सभी सदस्य शिविर में उपस्थित नहीं होते हैं तो भी भामाशाह नामांकन सम्भव है?

उ. हाँ। लेकिन परिवार के प्रथम समूह के साथ परिवार की महिला मुखिया का आना आवश्यक है।

14. क्या परिवार की 21 वर्ष से कम की महिला को महिला मुखिया घोषित किया जा सकता है?

उ. नहीं। ऐसी स्थिति में किसी भी पुरुष सदस्य को तब तक मुखिया घोषित किया जा सकता है जब तक की वह महिला 21 वर्ष की ना हो जाए।

स. निवासियों के सत्यापन से सम्बन्धी प्रश्नों का समाधान :–

1. क्या प्रथम सत्यापन के बिना भी किसी निवासी का भामाशाह नामांकन सम्भव है?

उ. नहीं। निवासी के द्वारा नामांकन प्रपत्र में दर्ज सूचनाओं से सम्बंधित दस्ता वेजों के प्रथम सत्यापन के बिना भामाशाह नामांकन सम्भव नहीं है।

2. क्या आधार सत्यापन व भामाशाह का प्रथम सत्यापन दोनों अलग–अलग जगह पर सम्पन्न किया जाएगा?

उ. नहीं। आधार नामांकन व भामाशाह नामांकन दोनों ही भामाशाह नामांकन शिविर में सम्पन्न किए जाने हैं अतः ये दोनों सत्यापन भी एक ही शिविर में किए जाने हैं।

3. क्या प्रथम सत्यापन व द्वितीय सत्यापन शिविर में ही सम्पन्न किए जाएँगे?

उ. नहीं। केवल प्रथम सत्यापन ही शिविर में सम्पन्न किया जाना है, द्वितीय सत्यापन शिविर के उपरान्त शिविर प्रभारी द्वारा जमाबन्दी की प्रक्रिया की तर्ज पर समस्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त 15 दिवस पश्चात किया जाएगा।

4. क्या प्रथम सत्यापन व द्वितीय सत्यापन दोनों एक ही अधिकारी/कर्मचारी नहीं कर सकता?

उ. नहीं। प्रथम सत्यापन शिविर में पटवारी या ग्रामसेवक स्तर के कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जबकि द्वितीय सत्यापन शिविर के उपरान्त शिविर प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

5. प्रथम सत्यापन कब सम्पन्न माना जाएगा?

उ. प्रथम सत्यापन निम्न चरणें में सम्पन्न किया जाता है–

(i) प्रथम सत्यापक निवासी के द्वारा भरे हुए प्रपत्र की जाँच करता है।

(ii) निवासी द्वारा जो सूचनाएं प्रपत्र में भरी गई हैं उनसे सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की जाँच करता है।

(iii) उन दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ निवासी से प्राप्त करता है।

(iv) फोटो प्रतियों का मूल प्रतियों से मिलान करता है।

(v) मूल दस्तावेजों को निवासी को वापिस लौटा देता है।

(vi) जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें डिजीटल प्रपत्र में ''टिक'' करता है।

(vii) डिजीटल प्रपत्र पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर करता है।

(viii) फोटो प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करता है तथा सील लगाता है।

(ix) हस्ताक्षरित फोटो प्रतियों को अपने पास रखता है ताकि ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को रिकॉर्ड में रखने के लिए हस्तांतरित किया जा सके।

6. क्या प्रथम सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो प्रतियों के आधार भी सम्भव है?

उ. नहीं। प्रथम सत्यापन केवल और केवल मूल दस्तावेजों के साथ जांच के पश्चात ही सम्भव होगा। यदि कोई निवासी किसी सरकारी लाभ का दावा करता है लेकिन उस लाभ की प्राप्ति के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे उसका लाभार्थी नहीं माना जाएगा।

द. डिजीटल हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रश्नः–

1. डिजीटल हस्ताक्षर क्या है?

उ. डिजीटल हस्ताक्षर एक यूजर आई डी व पासवर्ड का संगम है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए जारी किया जाता है ताकि वह इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज को प्रमाणित कर सके। डिजीटल हस्ताक्षर को एक पैन–ड्राइव जैसे डिवाइस में अवस्थित चिप में एनक्रिप्ट कर लोड कर दिया जाता है। इस एनक्रिप्टैड डाटा को डी एस सी या डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट कहते हैं।

2. क्या एक डिजीटल हस्ताक्षर को कई व्यक्ति काम में ले सकते हैं?

उ. डिजीटल हस्ताक्षर पृथक व्यक्ति के लिए पृथक होता है और अद्वितीय (Unique) होता है। यदि कोई व्यक्ति अपना डिवाइस, यूजर आई डी व पासवर्ड किसी को नहीं बताता है तो उसके डिजीटल हस्ताक्षर को कोई अन्य व्यक्ति काम में नहीं ले सकता है।

अन्य जानकारी–

भामाशाह डाटा हब के निर्माण की प्रक्रिया

क्र.सं.		विवरण
1	पहली जांच	नामांकन एजेंसी को उपलब्ध करवाये गये डाटा से निवासी के विवरण जैसे चुनाव के डाटा से मतदाता संख्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली डाटा से राशन कार्ड का डाटा इत्यादि चेक करना
2	पहला सत्यापन	ग्राम सेवक/पटवारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन
3	दूसरा सत्यापन	तहसीलदार/एस.डी.एम. द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन
4	सॉफ्टवेयर द्वारा जांच	टेकनोलॉजी पार्टनर द्वारा क्वालिटी चेक
5	अपवाद सूचना	बी.डी.एच. में पहले से मौजूद डाटा के साथ सी.ओ.टी.एस. प्रोडक्ट के नामांकन डाटा की जांच। मैनुअल परीक्षण हेतु अपवाद रिपोर्ट गुणवत्ता नियत्रंण दल को सौंप दी जायेगी।
6	गुणवत्ता की जांच	राज्य के मुख्यालय पर परिनियोजित गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा 10% डाटा की जांच तथा सी.ओ.टी.एस. प्रोडक्ट द्वारा निकाली गई अपवाद रिपोर्ट।